कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: आदेश :—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरांत गुलाब बाई मीना का पदस्थापन राउमावि गुगल कोटा किया गया। गुलाब बाई ने अपने पदस्थापन के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे याचिका संख्या 19538/2017 दायर की जिसमे याची ने कहा कि उसका चयन विधवा श्रेणी मे किया गया हैं और उसका पदस्थापन दिनांक 26.09.2017 को कांउसलिंग द्वारा किया गया। याची ने कहा कांउसलिंग के समय अलवर जिलें की एक स्कूल को ही कांउसलिंग के लिए रिक्त पदों में शामिल कर प्रदर्शित किया गया। जबकि उक्त जिलें मे अन्य दो स्कूलों में भी रिक्त पद थे परन्तु इन पदों को कांउसलिंग में प्रदर्शित नही किया गया। परिणामस्वरूप याची ने राउमावि गुगल कोटा का ही विकल्प दिया। यदि दो विद्यालयों को कांउसलिंग में शामिल किया जाता तो मुझे मेरे घर के पास पदस्थापन मिल जाता। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.11.2017 में याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अप्रार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण का निर्देश दिया जिसकी पालना में याची द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

याची के अभ्यावेदन का उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गहनता से अध्ययन किया गया और पाया गया कि याची का पदस्थापन उसकी सहमति द्वारा किया गया। रिक्त पदों का निर्धारण विभाग की आवश्यकता एवं सुचारू शिक्षण व्यवस्था के अनुसार किया जाता है और यह आवश्यक नही कि सभी रिक्त पदों अथवा किसी की व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार रिक्त पदों का निर्धारण किया जाय। तोगाराम व मोनिका मील का प्रकरण इससे भिन्न है। अतः याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमांक:— शिविरा—मा/संस्था/सी—2/इतिहास/या0सं0—19538/2017/ दिनांक:— 06-12-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संबंधित उपनिदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी विधि,जयपुर
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि5.— ---.
5. अनुभाग अधिकारी विधि कार्यालय हाजा।
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर